रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 49] नई दिल्ली, नवम्बर 27—दिसम्बर 3, 2016, शनिवार/ अग्रहायण 6—अग्रहायण 12, 1938

No. 49] NEW DELHI, NOVEMBER 27—DECEMBER 3, 2016, SATURDAY/ AGRAHAYANA 6—AGRAHAYANA 12, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2016

का.आ. 2304.—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार निम्नलिखित अपराधों को ऐसे अपराध के रूप में निर्दिष्ट करती है जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन करेगी । इसके नाम हैं :-

(क) भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का अधिनियम सं. 45) की धारा 459 के अंतर्गत दंडनीय अपराध

(ख) उक्त अपराधों अथवा किए गए किन्हीं अपराधों अथवा इसी तरह के तथ्यों से उद्भूत अपराधों के सम्बन्ध में किए गए प्रयास, दुष्प्रेरण और षडयंत्र ।

[फा. सं. 228/50/2016-एवीडी-II]

एस. पी. आर. त्रिपाठी, अवर सचिव

Dated : 24/10/2016

AWARD

By order No. L-20012 /189/2002-IR(C-1) dated 24/01/2003, the central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub –section (1) and sub-section (2A) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:

SCHEDULE

"Whether the TISCO management is justified in dismissing Sri Prem Bahadur Singh from service w.e.f. 04/04/1999? If not to what relief is the workman entitled?

2. After receipt of the reference, both parties are noticed. But appearing for certain dates by the workman none appears subsequently. Case remains pending. It is felt that the disputes between the parties have been resolved in the meantime. Hence No Dispute Award is passed. Communicat.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

का.आ. 2356.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 दिसम्बर, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसे उक्त अधिनियम के अध्याय IV (धारा 44 व 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) तथा अध्याय V और VI [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबंध असम राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

क्र.सं.	राज्य	जिलों का नाम
1.	असम	सोनितपुर
2.	असम	कामरूप ग्रामीण

[सं. एस-38013/43/2016-एस.एस.-I]

अजय मलिक, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 2016

S.O. 2356.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st December, 2016 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following Areas in the State of Assam namely :—

Sl. No.	State	Districts
1.	Assam	Sonitpur
2.	Assam	Kamrup Rural

[No. S-38013/43/2016-S.S.-I]

AJAY MALIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

का.आ. 2357.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 दिसम्बर, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय IV (धारा 44 व 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) तथा अध्याय V और VI [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबंध असम राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

क्र.स.	राजस्व ग्राम का नाम/क्षेत्र	जिला/शहर
1.	मंगलदई शहर	दारंग
2.	चापाई	दारंग